

1
उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2-
संख्या-1770/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.- 298-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-
(364)-2025
लखनऊ: दिनांक: 03-10-2025

शुद्धि-पत्र

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-
1699/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-284-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(362)-

2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में,-

(i) पृष्ठ 2, क्रम संख्या 2 में, "सभी सामान, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर "सभी सामान, ताजा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले" पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 2, क्रम संख्या 3 में, "सभी सामान, ताजा या ठंडा, पूर्व-पैक और लेबल वाले के अलावा" के स्थान पर " सभी सामान, ताजा या ठंडा के अलावा, पूर्व-पैक और लेबल वाले" पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 2, क्रम संख्या 8 में, "पनीर, छेना या पनीर के अलावा" के स्थान पर, "चीज़, छेना या पनीर के अलावा " पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 6, क्रम संख्या 35 में, "साथी" के स्थान पर, "मेट" पढ़ें;

(v) पृष्ठ 35, क्रम संख्या 298 में, " 6 मिमी से अधिक मोटाई की" के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

(vi) पृष्ठ 45, क्रम संख्या 392 में, "2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक मूल्य के जूते" के स्थान पर, "जूते जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक न हो" पढ़ें;

(vii) पृष्ठ 79, क्रम संख्या 142 में, "[रबर, रबर बैंड के अलावा]" के स्थान पर, "[इरेजर, रबर बैंड के अलावा]" पढ़ें;

(viii) पृष्ठ 81, क्रम संख्या 155 में, "6 मिमी से अधिक मोटाई की" के स्थान पर, "6 मिमी से अधिक मोटाई की नहीं" पढ़ें;

आज्ञा से,
Digitally signed by
M DEVARAJ (देवराज)
प्रमुख सचिव
Date: 03-10-2025
18:20:28